भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3927

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा उपाय

3927. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

श्री महेश कश्यपः

श्री मितेश पटेल बकाभाई:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

श्री जगदीश शट्टर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में पहचाने गए ब्लाइंड स्पॉट की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क सुरक्षा उपायों का महत्व; और

(घ) क्या सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। एनएच पर कुछ स्थानों की पहचान कुछ निश्चित संख्या में दुर्घटनाओं के आधार पर ब्लैक स्पॉट के रूप में की जाती है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल होती हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं जैसे रोड मार्किंग, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनधिकृत मध्य भाग को बंद करना, यातायात कम करने के उपाय आदि जैसे कदम उठाए है। सड़क की ज्यामितीयता में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि जैसे दीर्घकालिक उपाय भी साइट जांच के अनुसार ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर स्थायी सुधार उपायों के रूप में किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से 9,525 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक सुधार उपाय पूरे किए जा चुके हैं और 4,777 ब्लैक स्पॉट पर स्थायी सुधार पूरा हो चुका है। देश में सरकार द्वारा पहचाने गए कुल ब्लाइंड स्पॉट की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) एवं (घ) सभी सड़क निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, आचार संहिता तथा सड़क एवं पुल निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। मुख्य महत्व डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के चरणों के दौरान आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय को दिया जाता हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रारंभन पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण की वांछित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, ईपीसी अनुबंधों में प्राधिकरण अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की 100% जांच, नमूना आधार पर गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता के संबंध में अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों का सख्त कार्यान्वयन, विफल/दोषपूर्ण कार्यों के लिए ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को दंडित करना आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

अनुबंध

'सड़क सुरक्षा उपाय' के संबंध में श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्री महेश कश्यप, श्री मितेश पटेल बकाभाई, श्री बिभु प्रसाद तराई, श्री जगदीश शट्टर द्वारा दिनांक 19-12-2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स की संख्या
अंडमान	4
आंध्र प्रदेश	1202
अरुणाचल प्रदेश	9
असम	236
बिहार	355
चंडीगढ़	7
छत्तीसगढ	257
दमन और दीव	1
दिल्ली	132
गोवा	47
गुजरात	373
हरियाणा	144
हिमाचल प्रदेश	226
जम्मू और कश्मीर	200
झारखंड	263
कर्नाटक	1217
केरल	692
मध्य प्रदेश	674
महाराष्ट्र	642
मणिपुर	27
मेघालय	55
मिजोरम	2
नागालैंड	40
ओडिशा	568
पुदुचेरी	69
पंजाब	911
राजस्थान	954
सिक्किम	19
तमिलनाडु	1011
तेलंगाना	1121
त्रिपुरा	22
उत्तर प्रदेश	981
उत्तराखंड	81
पश्चिम बंगाल	1253
कुल	13795

*****